

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

कार्यालय उपखण्ड जजपारी धनेडा
स्तन लेगी ववाप लहक लेगी वने०

किश्क काड

११-११/१९

25.06.2019

पत्रावली पैश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये।

ऐसी स्थिति में इस वादपत्र बाबत विभाजन आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः वादी का वादपत्र वादी के नोट प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

42